षोडश

बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 06 फाल्गुन, 1941 (श०)
25 फरवरी, 2020 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	शिक्षा विभाग	.. 03
	कुल योग	-- 03

वित्तरहित कॉलेज को अनुदान की राशि देना

1. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा 2008 में राज्य के वित्तरहित महाविद्यालयों में उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान देने का निर्णय लिया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के 225 वित्तरहित स्नातक कॉलेजों के 8,000 शिक्षकों एवं 9,000 शिक्षकेतर कर्मचारियों को पिछले 9 सालों से अनुदान नहीं मिला है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को अनुदान की राशि देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कॉलेज की स्थापना

2. श्री तारकिशोर प्रसाद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 1 जनवरी, 2020 को प्रकाशित शीर्षक "18-23 साल तक की 1 लाख की आबादी पर सूबे में सात (7) कॉलेज" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित इंडियन सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2018-19 में प्रकाशित बिहार में 18 से 23 साल तक की प्रति एक लाख आबादी पर केवल सात (7) कॉलेज हैं जबकि अन्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में 28, कर्नाटक में 53, तेलंगाना में 50, आन्ध्र प्रदेश में 49, हिमाचल प्रदेश में 47 एवं केरल में 45 कॉलेज हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में उच्च शिक्षा एवं रोजगारपरक विषयों से संबंधित कॉलेज की कमी के कारण राज्य के युवा दूसरे प्रदेशों में पठन-पाठन हेतु पलायन कर जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रोजगारपरक उच्च शिक्षा हेतु आबादी के अनुपात में कॉलेज स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

3. श्री ललित कुमार यादव--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित शीर्षक "स्कूलों में शिक्षक नहीं, कोचिंग जाना मजबूरी" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्यभर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी से सालोंभर विद्यार्थियों की कक्षाएँ नहीं चलती है, जिस कारण छात्रों को सिलेबस पूरा करने के लिये कोचिंग या ट्यूशन पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विषयवार शिक्षकों की कमी के कारण स्कूलों में एक या दो कक्षाएँ ही चल पाती है तथा राज्यभर में छात्र स्कूल जाना छोड़ रहे हैं, जबकि 75 प्रतिशत अटेंडेंस होने पर ही छात्रों को योजनाओं का लाभ देने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के उच्च विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर पठन-पाठन को सुचारू रूप से संचालित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 25 फरवरी, 2020 (ई०) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु०, 146 (एल०ए०), 2019-20-डी०टी०पी०-550